

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं
ई मेल

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....५७...../जे०, पटना, दिनांक ०८.०१-१८

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गया।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत 0001.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मो०-32,451/- (बत्तीस हजार चार सौ इक्यावन) रुपये का आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-65/2018, दिनांक-18.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि०(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001170001 है

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....५७...../जे०, पटना, दिनांक ०८.०१-१८

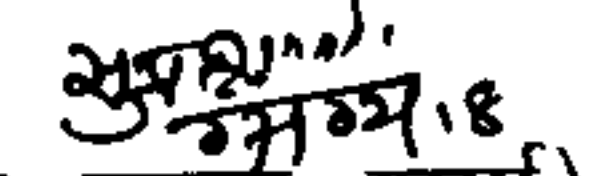
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....५७...../जे०, पटना, दिनांक ०८.०१-१८

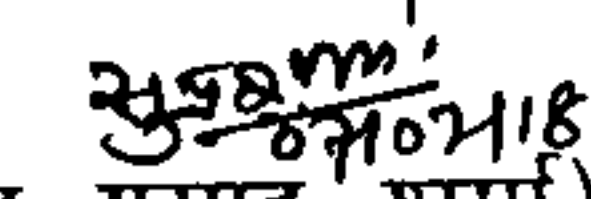
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-29/2017.....५७...../जे०, पटना, दिनांक ०८.०१-१८

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।